

कार्यालय डायरेक्टर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/एसईपीएम//स्था/अराज/2023/ 1098

जबलपुर दिनांक- १1 /09/2023

//स्टाफ नर्स भर्ती सूचना//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक क्रमशः एफ-1-3/2018/55-2 भोपाल दिनांक 26/05/2018, आदेश क्रं एफ 1-3/2018/55-2 दिनांक 12/26 -03/2019 दिनांक द्वारा सह-चिकित्सकीय संवर्ग के विभिन्न पद स्वीकृत किये गए है। उक्त नियमों के अनुक्रम में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन ने.सु.च. बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर हेतु संचालनालय चिकित्सा शिक्षा भोपाल के पत्र क्रमांक 557/स्था/अराज/2021 भोपाल, दिनांक 08/06/2021 द्वारा परिचारिका संवर्ग की अनुसूचियां जारी की गयी हैं। मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुरूप पदों के आरक्षण के संबंध में संभागायुक्त जबलपुर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन ने.सु.चं. बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन दिनांक -11/10/2023 आमंत्रित किये जाते है:-

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11/10/2023 (शासकीय कार्य दिवस)

स्टाफ नर्स के कुल रिक्त पदों की संख्या:- 23

सीधी भर्ती:- स्टाफ नर्स - कुल पद 23

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		दिव्यांग		योग	रिमार्क
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निरंक
2	अनुसूचित जाति(SC)	-	-	-	01	-	02	-	-	03	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	-	01	-	01	-	02	-	01	05	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)	-	04	-	02	-	03	-	01	10	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)	-	03	-	01	-	01	-	-	05	
योग:-		-	08	-	05	-	08	-	02	23	

3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

स्टाफ नर्स	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन।
------------	--

स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तें:-

01. नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय की उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्कूटनी में उपयुक्त पाये जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए

21/09/23

21/09/23

21/09/23

13

निश्चित परिश्रमिक रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात स्टाफ नर्स की परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा। परीवीक्षा अवधि के संबंध में शासन के प्रचलित नियम लागू होंगे।

पद का नाम	वेतनमान
स्टाफ नर्स	5200-20200+2800 ग्रेड पे (लेवल-7)

02. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

03. वेतनमान एवं अन्य भत्ते:-

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होगी।

04. आरक्षण:-

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल और क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
4. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 26 दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
5. दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें दिव्यांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की दिव्यांगता मान्य है।
-------------	---

6. उक्त पदों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
7. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012 आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार देय रहेगा।
8. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
9. विज्ञापित पदों पर नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल, दिनांक 09/04/2021 एवं कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक/2387/स्था/अराज/संचिशि/2022, भोपाल दिनांक 01/12/2022 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। निर्देशानुसार पद पूर्ति में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय स्कूल में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
10. उपरोक्त नियमों में यदि आवेदन की अंतिम दिनांक तक कोई भी परिवर्तन होता है तो वह स्वमेव ही लागू हो जाएगा।

05. आवेदन शुल्क का विवरण:-

वर्ग	आवेदन शुल्क
अनारक्षित (UR)	1100/-
अनुसूचित जाति (SC)	900/-
अनुसूचित जनजाति (ST)	900/-
अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) OBC	1000/-
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निःशक्तजन (अनारक्षित) EWS	1000/-

1/15
21/09/23

[Signature]

[Signature]

[Signature]
21/09/23

नोट:-आवेदन शुल्क का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया मेडिकल कॉलेज शाखा जबलपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से देय होगा। रसीद के पीछे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा।

-आर.टी.जी.एस. संबंधी विवरण:-

Bank Name	State Bank of India
IFSC Code	SBIN0001445
Account Number	10080130054
Bank Adress	State Bank of India N.S.C.B. Medical College Jabalpur.

नोट:- कृपया आर.टी.जी.एस. पेमेंट की रसीद का प्रिंटआउट लेकर उसे स्वप्रमाणित कर स्कैन करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

आवेदन पत्र ई-मेल द्वारा भेजने की अंतिम तिथि- 11/10/2023 शाम 05:00 बजे तक।

आवेदन पत्र केवल डायरेक्टर स्कूल ऑफ एक्सिलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन कार्यालय, ने.सु.चं. बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की अधिकारिक ई-मेल recruitment.sepm@gmail.com पर ही मान्य होंगे।

ई-मेल भेजने का तरीका- स्पष्ट रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र एवं विज्ञप्ति में दर्शाये गए सभी जरूरी दस्तावेज, एक स्व-प्रमाणित रंगीन फोटो के साथ स्कैन करके पीडीएफ बनाकर ई-मेल करें।

निर्धारित तिथि 11/10/2023 को शाम 05:00 बजे के पश्चात् ई-मेल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।


06. आयु सीमा:-

1. अनारक्षित वर्ग हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष
/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन - (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)
/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु


नोट:- आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के आधार पर मध्यप्रदेश के प्रचलित नियमों के अनुसार की जावेगी।

07. सामान्य शर्तें:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. संस्था की कार्यकारिणी समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन (कमी या वृद्धि) किया जा सकता है।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।


21/09/2023





6. संस्था की कार्यकारिणी समिति, किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस संबंध में स्कूल ऑफ़ एक्सिलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन, ने.सु.चं.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में संभागायुक्त/संस्था की कार्यकारिणी समिति, द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मान्य होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
10. वैवाहिक स्थिति- एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होंगी।
12. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यकता न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
13. स्टाफ नर्स के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें।


08. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र:-

स्टाफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।


09. निरर्हतायें :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा:-

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
 2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
 3. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
 4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:-
- अ. महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।
 - स. महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध नहीं पाए गए।
 - द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।


21/09/23





5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

10. चयन प्रक्रिया (स्टाफ नर्स का वैटैज निम्नानुसार रहेगा) :-

Higher Secondary (12th) Percentage (%X0.2) (Max 20 Marks)	Bsc/GNM Percentage (%X0.5) (Max 50 Marks)	Bsc = 25 GNM =20	Msc = 05	Total=100

11. महत्वपूर्ण टीप:-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट www.nscb.ac.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

Jr
21/09/23

डायरेक्टर

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन
ने.सु.चं. बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

Jr
21/09/23

[Signature]

[Signature]

[Signature]
21/09/23